रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 429] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25, 1982/आश्विन 3, 1904
No. 429] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 1982/ASHVINA 3, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 19 2

का० आ० 688 (अ) /18क/आई० डी० आर० ए/82—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 157 (अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/79 तारीख 27 मार्च, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) कलकत्ता स्थित मैसर्स लिली बिस्कुट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड और लिली बार्ले मिल्स (प्राईवेट) लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध 27 मार्च, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था,

और पश्चिमी बंगाल सरकार के रुग्ण और बन्द उद्योग विभाग कलकत्ता के सचिव जिसे अब औद्योगिक पुनर्निमाण विभाग कलकत्ता के नाम से जाना जाता है को प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 178 (अ) /18क/आई० डी० आर० ए०/82 तारीख 26 मार्च, 1982 द्वारा उक्त आदेश तारीख 27, मार्च, 1979 की अवधि को 26 सितम्बर, 1982 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, बढ़ा दिया गया।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश तारीख 27 मार्च, 1979 के उक्त आदेश को 31 मार्च, 1983 तक की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि तारीख 27 मार्च, 1979 का उक्त आदेश 31 मई, 1983 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 2 (3)/80-सी० यू० एस०]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th September, 1982

S.O. 688(E)/18A/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 157(E)/18A/IDRA/79, dated the 27th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Industrial Undertaking known as Messrs. Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs. Lily Bailey Mills (Private) Limited, Both located at Calcutta, had been taken over for a period of three years with effect from the 27th March, 1979 and the Secretary to the Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries, now known as Department of Industrial Reconstruction, Calcutta, was appointed as "Authorised Controller";

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 178(E)/18A/IDRA/82, dated the 26th March, 1982, the period of the said Order dated the 27th March, 1979, was extended upto and inclusive of the 26th September, 1982;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order dated the 27th March, 1979, should continue to have effect for a further period upto 31st May, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order dated the 27th March, 1979, shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st May, 1983.

[F. No. 2(3)/80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982